संख्या–1199 / तीस–1–2017

प्रेषक,

प्रकाश बिन्दु,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम,
लखनऊ।

परिवहन अनुभाग–1 लखनऊ :दिनांक 23 अक्टूबर, 2017

विषयः– ''उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति–2017'' के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1230 / छप्पन–2017–52 / 2017, दिनांक 24.08.2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ''उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति–2017'' के बिन्दु संख्या–8.3.10 एवं 8.4.4 परिवहन निगम से संबंधित है बताते हुए निम्नवत् आख्या उपलब्ध करायी गयी है:–

1– बिन्दु संख्या–8.3.10 आस–पास के मुख्य नगरों से बस कनेक्टिीविटी।

2– बिन्दु संख्या–8.4.4 हवाई अड्डो से अन्यत्र स्थानों को आने व जाने के लिए बस सेवा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागरिक उड्डयन अनुभाग की अधिसूचना संख्या–1421 / छप्पन–2017–52 / 2017, दिनांक 21 सितम्बर, 2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उ0प्र0 नागर विमानन प्रोत्साहन नीति–2017 प्रख्यापित कर दी गयी है। अतः ''उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति–2017'' के बिन्दु संख्या–8.3.10 एवं 8.4.4 के अनुसार क्रमशः आस–पास के मुख्य नगरों से बस कनेक्टिीविटी तथा सभी एयरपोर्ट पर समीपवर्ती शहरों / कस्बों से फ्लाईट की टाइमिंग के अनुरूप आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बस सेवा संचालित किये जाने के संबंध में निगम स्तर पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रकाश बिन्दु)
विशेष सचिव।

संख्या–1199 / तीस–1–2017तद्दिनांकित

प्रतिलिपि, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
उप सचिव।

112 GO- S. SIR- 2017